## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
## पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 39 / 2022
दायर दिनांक : 07 / 10 / 2024
निर्णय दिनांक : 03 / 12 / 2024

उनवान

1. चान्दी बाई पुत्री धन्ना चमार निवासी कानाखेड़ा, तहसील भूपालसागर

प्रार्थिया

**बनाम**

1. नगजीराम पुत्र गणेश चमार निवासी कानाखेड़ा, तहसील भूपालसागर
2. रतनलाल उर्फ पन्नालाल पुत्र गणेश चमार, निवासी कानाखेड़ा, तहसील भूपालसागर
3. कालीबाई पुत्री गणेश चमार निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर,
4. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति : 1. कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता प्रार्थिया

### :: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम देवड़ो का खेड़ा के हल्के बैरूनी में मुझ प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी नं. 1018/630 रकबा 0.53 है0, आराजी नं. 631 रकबा 0.41 है0, आराजी नं. 632 रकबा 0.42 है0, आराजी नं. 633 रकबा 0.65 है0, आराजी नं. 635 रकबा 0.20 है0, आराजी नं. 636 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त हाल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा अंकित कर रखा है, जो गलत है। 1/12 के बजाय 1/8 अंकित होना चाहिये था। वर्तमान में मैं प्रार्थीया 1/8 हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रही हूँ। वजह सबुत हाल जमाबन्दी कि प्रमाणित नकल प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न है। तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का वारीसान भी उल्लेखित कर रखा है। उपरोक्त वारीसान सजरे एवं जमाबन्दी सम्वत् 2058 से लगायत 2061 के अनुसार खाता संख्या 150 में, गणेश पिता सूरजमल मुसम्मात मानी बेवा धन्ना, मु0 चान्दी, टमु पुत्री धन्ना 1/4 हिस्सा बराबर दर्ज रेकार्ड था। उक्त वारीसान सजरा अनुसार सुरजमल के दो पुत्र धन्ना व गणेश के बिच 1/4 हिस्सा संयुक्त हिस्से में दर्ज रेकार्ड था। जिसके अनुसार धन्ना की मृत्यु के बाद धन्ना के वारीस के नाम पर 1/8 यानि तीनो वारीसान के नाम पर 1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा बनता है। वजह सबुत जमाबन्दी सम्वत् 2058 से लगायत 2073 तक की प्रमाणित नकले प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत है। तथा अप्रार्थीगण के पिता गणेश की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण संख्या की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत है। एवं मानीबाई की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण संख्या 190 दिनांक 11/12/2007 के अनुसार मानी का हिस्सा उनकी दोनो पुत्रीया चान्दी व टमु में समाहित हो गया। जिसके अनुसार 1/16 हिस्सा चान्दी का व 1/16 हिस्सा टमु का बनता है। दिनांक 16/02/2008 को टमु बाई ने अपना हिस्सा अपनी बहन चान्दी बाई को हकत्याग कर दिया, हकत्याग से नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 05/10/2011 से टमु बाई का हिस्सा चान्दी बाई पुत्री धन्ना के हिस्से में समाहित होने से चान्दी बाई का 1/8 हिस्सा बनता है। नामान्तरण संख्या 190, 246 की प्रमाणित नकले एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

हकत्याग की फोटो प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत है। जमाबन्दी सम्वत् 2058 से लगायत सम्वत् 2073 तक की जमाबन्दियो के अनुसार चान्दी बाई पुत्री धन्ना का 1/8 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज होना चाहिये था। हाल जमाबन्दी 2074–2077 तक में मुझ प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा दर्ज रेकार्ड कर दिया है जो गलत है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक (मृतक बदामी बाई सहित) का हिस्सा 1/32, 1/32, 1/32, 1/32 बनता है जिसकी बजाय 1/24 हिस्सा अंकित कर मुझ प्रार्थीया के हिस्से घटाकर अप्रार्थीगण के हिस्से को में बढ़ा दिया है। साबिक जमाबन्दी एवं वारीसान सजरे अनुसार हाल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुझ प्रार्थीया द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमान् तहसीलदार साहब भूपालसागर के यहाँ शुद्धि–पत्र के जरिये 1/8 हिस्सा अंकित किये जाने का निवेदन किया। लेकिन उनके द्वारा इन्कार किये जाने पर श्रीमान् के यहाँ ईन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। शेष सह–खातेदारान के हिस्से में किसी प्रकार की ईन्द्राज दुरूस्ती नही चाहने एवं हिस्सा कम होने का प्रभाव नही होने के कारण अनावश्यक पक्षकार नही बनाये गये है। तथा वर्तमान खातेदार बदाम बाई की ला–औलाद मृत्यु हो जाने के कारण उनको पक्षकार नही बनाया गया है। हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीया को अपना हिस्सा 1/8 के बजाय 1/12 अंकित होकर रकबा कम होने की जानकारी प्राप्त होने से प्रार्थना–पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित मुझ प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि आराजीयात आराजी नं. 1018/630 रकबा 0.53 है0, आराजी नं. 631 रकबा 0.41 है0, आराजी नं. 632 रकबा 0.42 है0, आराजी नं. 633 रकबा 0.65 है0, आराजी नं. 635 रकबा 0.20 है0, आराजी नं. 636 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 में ईन्द्राज दुरुस्ती का आदेश जारी फरमा मुझ प्रार्थीया का हिस्सा 1/12 के बजाय 1/8 हिस्सा हाल जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड किया जाकर अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 11/11/2024 को हाजीर हदालत हो पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर कर उपस्थिती दी तथा ईन्द्राज दुरुस्ती किये जाने पर अपनी मौखिक सहमति प्रदान की दिनांक 21/11/2024 को अप्रार्थी संख्या 3 बाद तामील न्यायालय में हाजीर नही होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 भुमिधारी तहसीलदार भूपालसागर का जवाब पेश हुआ जो की शामील पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो का दोहरान कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात आराजी नं. 1018/630 रकबा 0.53 है0, आराजी नं. 631 रकबा 0.41 है0, आराजी नं. 632 रकबा 0.42 है0, आराजी नं. 633 रकबा 0.65 है0, आराजी नं. 635 रकबा 0.20 है0, आराजी नं. 636 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 आराजीयात की हाल जमाबन्दी में मुझ प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा दर्ज रेकार्ड कर रखा है। जो गलत है। साबिक रेकार्ड एवं हाल रेकार्ड का मिलान किये जाने, समस्त दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा प्रार्थना–पत्र वर्णित आराजीयात में बनता है। हाल जमाबन्दी में प्रार्थीया का 1/12 हिस्से के स्थान पर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्ती कर 1/8 हिस्सा अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। तहसील भूपालसागर ने जवाब प्रस्तुत किया भू.अ.नि. जाशमा से जांच करवाई गई। जो जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम देवड़ो का खेड़ा के आराजी नं. 1018/630 रकबा 0.53 है0, आराजी नं. 631 रकबा 0.41 है0, आराजी नं. 632 रकबा 0.42 है0, आराजी नं. 633 रकबा 0.65 है0, आराजी नं. 635 रकबा 0.20 है0, आराजी नं. 636 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 में चांदी बाई का अपना 1/12 हिस्सा दर्ज हो गया [illegible] द्वारा सुरजमल का वारीसान सजरा प्रस्तुत किया, जांच से सजरा सही [illegible] (2) गणेश था जिनकी मृत्यु हो चुकि है। धन्ना व गणेश के वारी[illegible] का संयुक्त 1/4 [illegible] है। हिस्सा विभाजन करने पर 1/8 व 1/8 हिस्सा दोनो का तथा इन[illegible] की मृत्यु के पश्चात् क्रमशः टमुबाई व चांदीबाई का हिस्सा 1/16 व 1/16 बनता है [illegible]न्तकाल नं. 246 दिनांक 05/10/2011 हकत्याग टमुबाई का हिस्सा चांदी के पक्ष में होने से हिस्सा चादी का 1/8 बनता है। वक्त सेग्रीगेशन में प्रार्थीया चांदी का 1/12 व सह–खातेदार कालीबाई पुत्री गणेश का 1/24, नगजीराम 1/24, पन्नालाल 1/24 पिता गणेश, बदाम बाई पत्नि कालू 1/24 दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gehlot
Date: 2025.03.19 10:59:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिसमें योग 1/4 हिस्सा बनता है। इस प्रकार चांदी का हिस्सा 1/24 कम दर्ज एवं सही–खातेदार का 1/24 हिस्सा अधिक दर्ज हो गया है। खातेदार चांदीबाई का 1/8 हिस्सा बनता है। एवं सह–खातेदार का हिस्सा 1/24 के बजाय 1/32 होगा। हिस्से में कमी आयेगी। लेकिन कुलिया हिस्सा 1/8 ही बनेगा। खातेदार चांदी बाई का हिस्सा 1/8 एवं सह–खातेदार कालीबाई पुत्री गणेश 1/32, नगजीराम 1/32, पन्नालाल 1/32 पिता गणेश, बदाम बाई पत्नि कालू 1/32 दर्ज होने पर पुनः योग 1/4 बनता है। जो साबिक रेकार्ड एवं मौका–पर्चा रिपोर्ट से साबित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी संख्या 4 के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवड़ो का खेड़ा की आराजी नं. 1018/630 रकबा 0.53 है0, आराजी नं. 631 रकबा 0.41 है0, आराजी नं. 632 रकबा 0.42 है0, आराजी नं. 633 रकबा 0.65 है0, आराजी नं. 635 रकबा 0.20 है0, आराजी नं. 636 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.45 है0 में प्रार्थिया का 1/12 के बजाय 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा सह–खातेदार कालीबाई पुत्री गणेश 1/32, नगजीराम 1/32, पन्नालाल 1/32 पिता गणेश, बदाम बाई पत्नि कालू 1/32 दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:06 IST
Reason: SelfAttested